न्यायालय श्री कुमार सुधांशु, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी

बिरौल, जिला–दरभंगा, बिहार

T.R.- 1957/2019 किशोर मुखिया

18.10.19 G.R.- 862/2017

अभियुक्त **फूलकांत मुखिया उर्फ फूल कुमार मुखिया** की ओर से नवीन शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति अभियोजन पदाधिकारी को दी गई। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। जमानत आवेदक प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है, कि आवेदक–अभियुक्त निर्दोष है तथा ऐसी कोई घटना नहीं किए हैं। इनका कोई भी जमानत आवेदन उपरी न्यायालय में लंबित नहीं है। इस वाद की सभी धाराएँ जमानतीय हैं। अतः आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाए।

अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि संज्ञान के पश्चात् अभियुक्त की यह प्रथम उपस्थिति है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा–341, 323, 429, 504 भा0द0वि0 जमानतीय है। इससे पूर्व भी अन्य सह अभियुक्तों को दिनांक–01.07.19 को जमानत मिल चुकी है। आज अभियुक्त न्यायालय में स्वेच्छा से उपस्थित हुए हैं।

अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदक अभियुक्त को मो0 5000 x 1, पॉच हजार साथ उसी राशि के एक प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने के पश्चात् जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। बंधपत्र दाखिल करें।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी

पश्चात्

18.10.19 उपरोक्त आदेशानुसार आवेदक–अभियुक्त **फूलकांत मुखिया उर्फ फूल कुमार मुखिया** की ओर से बंधपत्र साथ अन्य कागजातों की छायाप्रति दाखिल की गई, जिसे जॉचोपरांत सही पाकर .....किया जाता है। आवेदक–अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से छोड़ा जाता है।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी